तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जारी

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/05/25 को पेश हो।

22/5/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/7/25 को पेश हो।

23/7 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 7/8/25 को पेश हों।

07/08/2025

F.D. [illegible]

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्रि फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्रि की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्रि किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्रि का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा [illegible] पर्चा डिक्रि जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. श्रीरामदेव पुत्र श्री मांगू जाति जाट निवासी बागपत नगर चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. सोनी देवी पत्नि स्व0 घीसा वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 07 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री फतेह सिंह एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री बलबीर जाखड़ एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **07** माह **08** सन् **2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
वावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:30:58 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।